

FORM NO. III

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान सरकार बनाम नितिन

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/158/2022 दा0दि0 23.05.2022

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06.06.2022	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रशान्त कुमार पुत्र अजय पाल निवासी बी-41, फेज-1, शांति कुंज, नियर लखपत चौक, मारुती कुंजी रोड थाना मारुती कुंज जिला गुरुग्राम हरियाणा जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन मारुती स्वीफ्ट डिजायर रजि0 सं0 एच.आर. 55 ए.एच. 6334 धारा 5, 8 आर.बी.एक्ट के तहत थाना शाहजहांपुर द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना शाहजहांपुर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी थाना शाहजहांपुर द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन मारुती स्वीफ्ट डिजायर रजि0 सं0 एच.आर. 55 ए.एच. 6334 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है, तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन मारुती स्वीफ्ट डिजायर रजि0 सं0 एच.आर. 55 ए.एच. 6334 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/- (पांच लाख रूपये मात्र/- तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है।</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रार्थी वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा।2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। <p>पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 20.06.2022 को पेश हों।</p>	

जिला कलक्टर
अलवर

20/06/22

पत्रावली देखा हुआ, कमीष धरती के
विधिविहित तरीके से प्रमाणित मुद्रांक
है। स.नं. १०८/२०२२/२०२२
जिला अलवर (राज०)

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

21/06/22

पत्रावली देखा हुआ, कमीष धरती के
विधिविहित तरीके से प्रमाणित मुद्रांक
है। स.नं. १०८/२०२२/२०२२
जिला अलवर (राज०)

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)